नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2010

का.नि.आ. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैनिक इंजीनियर सेवा (प्रधान बैरक भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, सैनिक इंजीनियर सेवा में प्रधान बैरक भंडार अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा में प्रधान बैरक भंडार अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान बैरक भंडार अधिकारी	2* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) श्रेणी वेतन 7600 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे ज्येष्ठ बैरक भंडार अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) श्रेणी वेतन 6600 रुपए की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो,जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव/रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक (कार्मिक), इंजीनियर इन चीफ शाखा —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पीसी-85604/आरआर/संशोधन/पीबीएसओ/सीएससीसी/405/10/र.(नि)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 2010

S.R.O. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Principal Barrack Stores Officer) Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Barrack Stores Officer in the Military Engineer Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services Principal Barrack Stores Officer Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal Barrack Stores Officer	2*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Pay Band-3 (Rs. 15600–39100), Grade Pay Rs. 7600	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
By Promotion	**Promotion :** Senior Barrack Stores officer in the Pay Band-3 (Rs. 15600—39100), Grade Pay Rs. 6600 with five years regular service in the grade.

568 GI/10-3

	(12)
	Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary/Ministry of Defence —Member 3. Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. PC-85604/RRs/Amendt/PBSO/CSCC/405/10/D(Apptts)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

का.नि.आ. 9.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यक्तियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की 40) का धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित दिनांक 26 नवंबर, 1987 के का.नि.आ. 388, दिनांक 10 मार्च, 1990 के का.नि.आ. 40, दिनांक 9 मार्च, 1992 के का.नि.आ. 54, दिनांक 10 जून, 2003 के का.नि.आ. 73 की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले हटाई गई अथवा हटाई जाने वाली के लिए विलोप की गई बातों के, केन्द्रीय सरकार नीचे तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके सरकार में राजपत्र अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करती है । ये अधिकारी इस तालिका के कॉलम 3 में दर्ज प्रविष्टियों के संबंध में उल्लिखित सार्वजनिक परिसरों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के तहत या संपदा अधिकारी पर लागू कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

तालिका

क्र. सं.	अधिकारियों के पदनाम	निर्माणी का नाम	सार्वजनिक परिसर का वर्ग एवं कार्य क्षेत्र की स्थानीय सीमा
1	2	3	4
1.	संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (प्रशासन), कार्य प्रबंधक (प्रशासन), सहायक कार्य प्रबंधक (प्रशासन)	आयुध निर्माणी, मुराद नगर	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर जो उनके अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में स्थित है ।
2.	संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (प्रशासन), कार्य प्रबंधक (प्रशासन), सहायक कार्य प्रबंधक (प्रशासन)	आयुध निर्माणी, इटारसी	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर जो उनके अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में स्थित है ।
3.	संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (प्रशासन), कार्य प्रबंधक (प्रशासन), सहायक कार्य प्रबंधक (प्रशासन)	आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर जो उनके अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में स्थित है ।